न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प/कैम्प कोर्ट शिवरत्ती

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–37/2016 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए

1. श्री गजेन्द्र सिंह पिता गोरधन सिंह राव निवासी मेडता तह. मावली जिला उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. हरिसिंह पिता जवान सिंह राव निवासी डेलवास तह. भदेसर जिला चितौडगढ़।
2. लक्ष्मण सिंह पिता जवान सिंह राव निवासी डेलवास तह. भदेसर जिला चितौडगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए</u> ::

निर्णय दिनांकः– 07.06.2018

:: निर्णय ::

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम शिवरत्ती पर प्रस्तुत हुई। प्रा0 पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गजेन्द्र सिंह पिता गोरधन सिंह राव नि. मेडता तह0 मावली जिला उदयपुर द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम दरीबा पटवार क्षैत्र शिवरती तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में प्राथी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 87/0.10 है0 88/0.04 है0 89/0.05 है0 90/2/1.49 है0 किता 4 रकबा 1.68 है0 भुमि जमाबन्दी स. 2072 से 2075 में दर्ज रिकार्ड है। इसी तरह ग्राम दरीबा प0ह0 शिवरती के आराजी सं. 76/3.87 है0 77/1.51 है0 किता 2 रकबा 5.38 है0 भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी की आराजी संख्या 87,88,89,90/2 के लिये प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी सं. 77 में होकर सदैव से आवागमन करता आ रहा हैं अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने के लिये उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी आम रास्ते में आराजी संख्या 77 के पश्चिमी हिस्से में प्रवेश करके अपनी आराजी संख्या 88 में प्रवेश करता है तथा मौके पर फाटक लगी हुई है इसी रास्ते से अपने संज बैल ट्रेक्टर आदि ले जाता रहा है। राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 77 में रास्ता अंकित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 व्यवधान पैदा करने की धमकिया दे रहे है। जिससे प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 77 में 30 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिये दिलाया जाना की मांग की है। कारण प्रा0 पत्र दिनांक 01.08.2016 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

प्रार्थी ने प्रा.पत्र में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार करवाया जाकर प्रार्थी को ग्राम दरीबा प0ह0 शिवरती तह0 सहाड़ा की आराजी 77 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 88 तक आवागमन के लिये दिलाया जावें व राजस्व अभिलेखों व नक्शे में किस्म रास्ता दर्ज करवाया जावें

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4.10.2016 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण न. 1 व 2 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ग्राम सहाडा के आराजी सं. 88 तक आवागमन करने के लिए विपक्षीगण की आराजी सं. 77 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाने के संबंध में तहसीलदार सहाडा से निर्धारित बिन्दुओं पर मौका रिर्पोट तलब की गई।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा